सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/76 दर्ज तिथिः—28.02.2025

1. कोहलाराम पुत्र गणेशाराम
2. मेघाराम पुत्र गणेशाराम
3. जबराराम पुत्र सावलाराम
4. चूकीदेवी पत्नी सावलाराम

जाति रबारी (देवासी) निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गुढ़ामालानी सत्यमेव जयते

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 92/3.7231 है0 मौजा डेडावास का गोलिया पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी खसरा संख्या 92 में से प्रार्थीगण द्वारा रकबा 0. 3561 है0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पित की। उक्त समर्पित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रास्ते हेतु समर्पित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को खसरा संख्या 92 / 1 / 00.3561 है0 आवंटित कर दर्ज रिकॉर्ड किया गया।

- कि उक्त समर्पणशुदा खसरा संख्या 92 / 1 मौके पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रहा है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा समर्पणशुदा भूमि की तरमीम वर्तमान चलायमान रास्ते से भिन्न राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी। जिससे मौके पर चलित रास्ते एवं नक्शा लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु समर्पणशुदा खसरा संख्या 92 / 1 की तरमीम वर्तमान चलित रास्ता अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू. अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

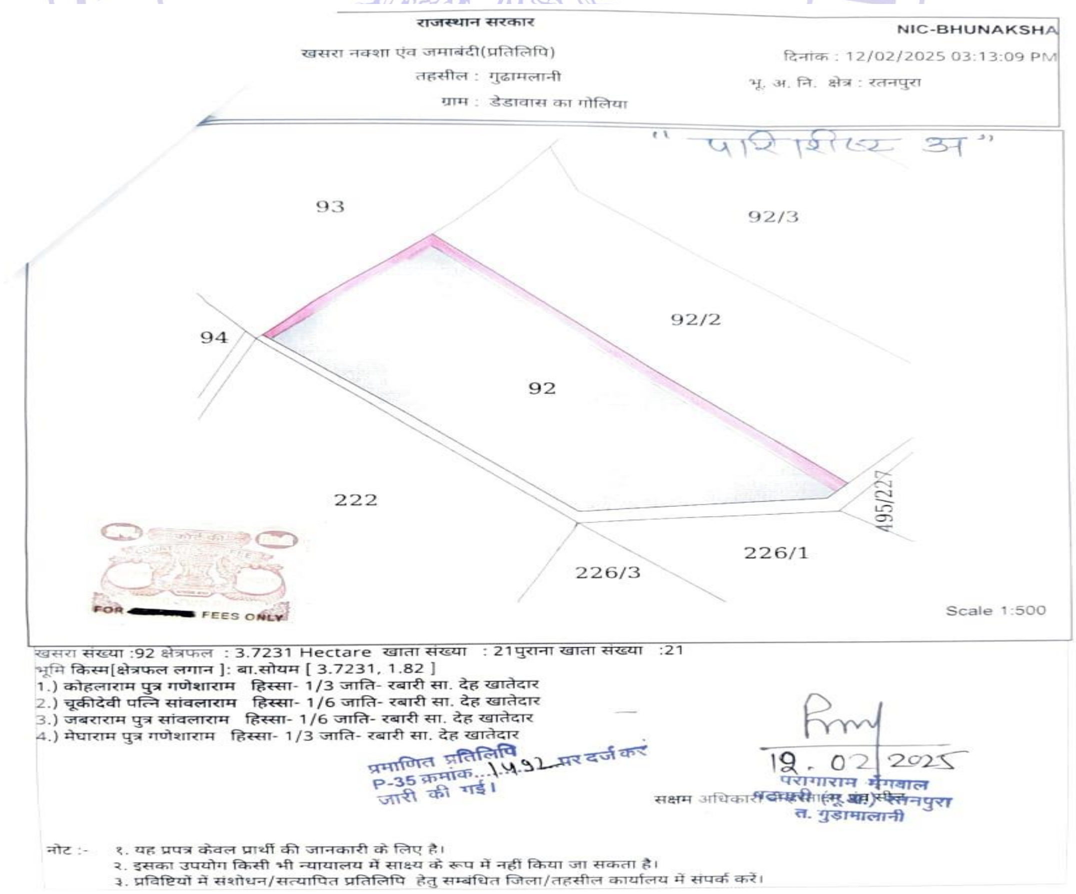
राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
दिनांक : 12/02/2025 03:13:09 PM
तहसील : गुढामलानी
भू. अ. नि. क्षेत्र : रतनपुरा
ग्राम : डेडावास का गोलिया

खसरा संख्या :92 क्षेत्रफल : 3.7231 Hectare खाता संख्या : 21पुराना खाता संख्या :21
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.7231, 1.82]
1.) कोहलाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा- 1/3 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
2.) चूकीदेवी पत्नि सांवलाराम हिस्सा- 1/6 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
3.) जबराराम पुत्र सांवलाराम हिस्सा- 1/6 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
4.) मेघाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा- 1/3 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि P-35 क्रमांक...1492 पर दर्ज कर जारी की गई।

19.02.2025
परागाराम मेंगवाल
सक्षम अधिकारी भू.अ.नि. रतनपुरा
त. गुड़ामालानी

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

परिशिष्ट–अ

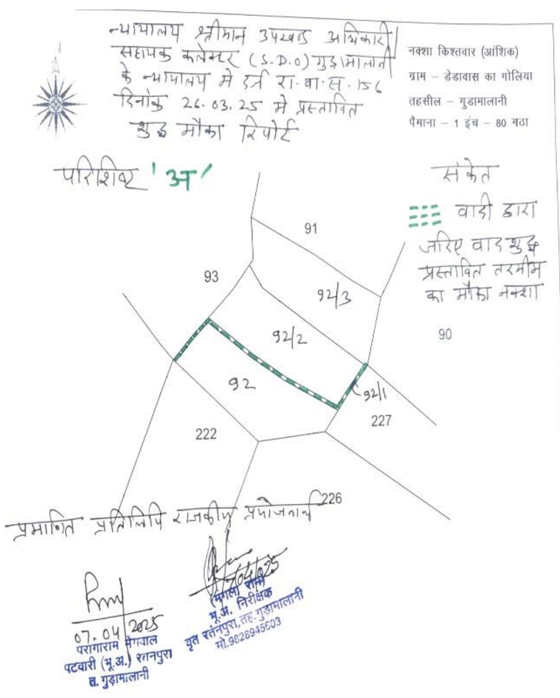

परिशिष्ट–ब

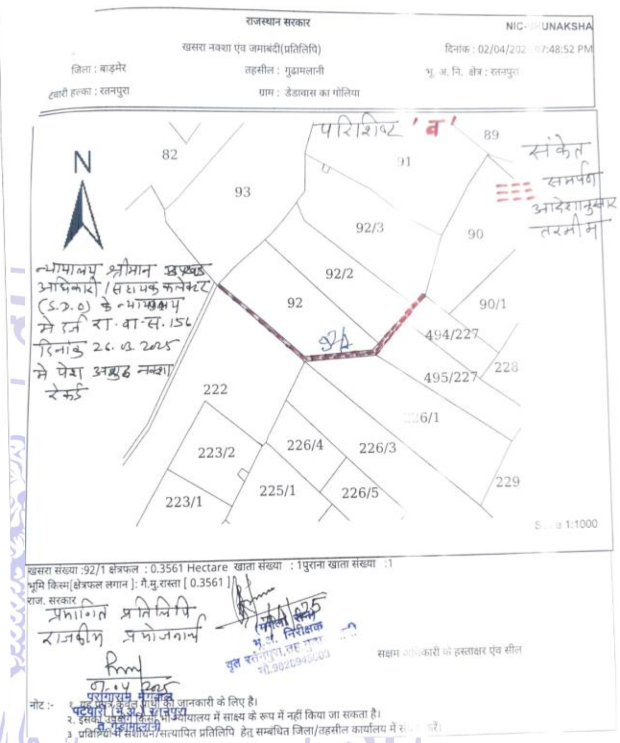

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
   1. कि आराजी खसरा संख्या 02 में रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि की तरमीम समर्पण आदेश के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं की गई है।
   2. संलग्न परिशिष्ट–अ में बंरग हरा में दर्शाये अनुसार मौके पर रास्ता चालू है।
   3. समर्पित आराजी खसरा संख्या 92 / 1 की तरमीम संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 60 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/600 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:57 IST
Reason: SelfAttested